

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 2012/अग्रहायण 2, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 199

No. 193]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012/AGRAHAYANA 2, 1934

[N.C.T.D. No. 199

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

फा. सं. 9(17)/अ. एवं सा./वा. औ. स./2012/7051.—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनद्वारा नीचे दी गई अनुसूची—I में उल्लिखित विवरण के अनुसार, विनिर्माण और इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण, अब से “वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2011–12 (राज्य प्रतिदर्श)” के रूप में संदर्भित, का निर्देश देता है ।

2. आगे, उपराज्यपाल, सहायक निदेशक(औ0सां0), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को, उपरोक्त निर्देश के संदर्भ में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2011–12 (राज्य प्रतिदर्श) के लिए सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है ।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डों के निरीक्षण और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जाएगा । प्रत्येक व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा ।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 के संबंध में भाग- I तथा भाग- II में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़ों को विधिवत् सत्यापन और जांच के बाद अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा ।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2011-12 से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे ।

अनुसूची-I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2011-12 के माध्यम से, विनिर्माण, प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा शीत भंडार से संबंधित कार्यकलापों वाले संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढांचे से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण किया जाता है ।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2011-12, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित किया जाता है ।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के तहत सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस तारीख, जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय जिसे, इकाई (यूनिट) और इकाइयों (यूनिट्स) जिनके लिए और फॉर्मेट जिसमें सूचना प्रदान की जानी है, का उल्लेख करेगा । सांख्यिकी अधिकारी सूचनादाताओं को, उन अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्धारित सूचना फाइल करने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा ।

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं :

4. इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी [यानि, कोई फ़ैक्ट्री अथवा कोई विद्युत या गैस या जलापूर्ति प्रतिष्ठान अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत कोई उद्यम], जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा ।

5. यदि अलग-अलग इकाइयों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है तो, सांख्यिकी अधिकारी मालिक अथवा पदाधिकारी को एक ही प्रबंध के तहत दो या अधिक इकाइयों के संबंध में उन शर्तों पर निर्भर करते हुए समेकित सूचना प्रदान करने के लिए कह सकता है, जिन्हें उसने नोटिस में विनिर्दिष्ट किया है ।

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा करने की अवधि :

6. नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और आमतौर पर यह अवधि अक्टूबर, 2012 से जून, 2013 के बीच होनी चाहिए ।

संदर्भ अवधि :

7. सूचना, 1 अप्रैल, 2011 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के मामले में 1 अप्रैल, 2011 और 31 मार्च, 2012 के बीच किसी भी तारीख को पड़ने वाले लेखाकरण वर्ष के लिए उपलब्ध करानी होगी ।

एकत्र की जाने वाली सूचना का स्वरूप

8. अपेक्षित सूचना के दो भाग हैं, भाग-I परिसंपत्तियों तथा देयताओं, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, व्यय, निर्देश की स्वदेशी तथा आयातित वस्तुओं, उत्पाद तथा उप-उत्पाद, वितरण संबंधी खर्च आदि से संबंधित है । भाग-II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं नामतः, कार्य दिवस, नियोजित श्रम दिवस, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, नियोजित कार्य के घंटें, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में सूचना से संबंधित है ।

सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की भाषा

9. सूचनादाता, निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना प्रदान करेगा ।

सूचनादाता की बाध्यता

10. इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी, संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से उसे प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा । सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, वह निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड भी उपलब्ध कराएगा और मांगी गई सूचना के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देगा ।

उन कारोबारी रिकार्ड तथा अन्य रिकार्डों का स्वरूप, जिनका निरीक्षण किया जा सकता है

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, पे-रोल, निर्देशक की रिपोर्ट अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज जैसे कारोबारी रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है ।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों के आधार पर इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकता है और इकाई के मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा प्रबंधमंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

दी. मो. स्पोलिया, प्रधान सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd November, 2012

F. No. 9(17)/DES/ASI/2012/7051.—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs collection of statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'the Annual Survey of Industries 2011-12 (state samples)' as per the details mentioned in the Schedule-I given below.

2. The Hon'ble Lieutenant Governor further appoints the Assistant Director (ASI), Directorate of Economics and Statistics, National Capital Territory of Delhi as Statistics Officer for the Annual Survey of Industries 2011-12 (state samples) with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part-I and Part-II in respect of the Annual Survey of Industries 2011-12 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi.

5. All the persons engaged in any activity in respect of Annual Survey of Industries 2011-12 (state samples) are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE-I**Subject and purpose for collection of Statistics :**

1. Statistics relating to the growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2011-12.

Geographical area for collection of statistics :

2. The Annual Survey of Industries 2011-12 will be conducted in the whole NCT of Delhi, under the Collection of Statistics Act, 2008.

Method of data collection :

3. A notice will be issued by Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

Nature of informants from whom data may be collected :

4. The owner or occupier of a unit [i.e., a factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966], who would be issued notice by a Statistics Officer shall furnish information about the unit.

5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of Statistics may be completed :

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during October, 2012 to June, 2013.

Reference Period :

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2011 and ending on 31st March 2012 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2011 and on 31st March 2012.

4393 24/12-2

Nature of information to be collected :

8. The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items – indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

Language in which information is to be furnished by informant :

9. An informant shall furnish information in the prescribed format either in Hindi or in English.

Obligation of informant :

10. An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit & loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,

D. M. SPOLIA, Pr. Secy. (Plg.)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

फा. सं. 23(एस-12)/2012/विसस-4/विधायी/10162.—दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

“दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा-6 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं चौथी विधान सभा का बारहवाँ सत्र (शीतकालीन सत्र) मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को अपराह्न 2:00 बजे से असैम्बली हाल, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में आहूत करता हूँ।

ह./-

तेजेन्द्र खन्ना,
उपराज्यपाल, दिल्ली।”

पी. एन. मिश्रा, सचिव (एल.ए.)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2012

F. No. 23(S-12)/2012/LAS-IV/Leg./10162.—The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated the 23rd November, 2012 is hereby published for general information :—

ORDER

“In exercise of the power conferred upon me by Section 6(1) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, (Central Act No.1 of 1992), I hereby summon the 12th Session (Winter Session) of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to meet at Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054 on **Tuesday, the 11th December, 2012 at 2.00 P.M.**

Sd/-

TEJENDRA KHANNA,
Lieutenant Governor, Delhi.”

P. N. MISHRA, Secy. (L.A.)

4393 25/12-3

वित्त (राजस्व- I) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

फा. सं. 3(9)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएस VI/242.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात्:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम
1	एस के वलेचा	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 23rd November, 2012

F. No. 3(9)/Fin. (T&E)/2009-10/ds VI/242.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:-

S.No	Name of the Officer (Sh/Smt./Km)	Appointed As
1	S.K. Walecha	Value Added Tax Officer

फा. सं. ३ (९)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/२००९-१०/खं.फा.-१/डीएस VI/२४१.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, २००५ के नियम ४७ अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००४ (२००५ का दिल्ली अधिनियम ३) की धारा ६६ की उपधारा (२) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम
१	सुब्रत मिश्रा	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI(वित्त)

F. No. 3(9)/Fin. (T&E)/2009-10/Ptf. 1/ds VI/241.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:-

S.No.	Name of the Officer (Sh/Smt./Km)	Appointed As
1	Subrat Mishra	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. -VI (Finance)

